न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज रामप्रसाद ..... बनाम ..... कानाराम मु.नं.– 179/21 किस्म – T.I	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5/5/25 प्रतालमीन कर्मचारी साप्ताहिक अवकाश पर होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली ईवनिंग टाइम 6/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा) 6/5/25 प्रगतपत्री पेश हुई। पक्षगण को बार-2 आवाज दिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित है। प्रगतपत्री लम्बे समय से बहस में लंबित है। पक्षगण को बार-2 निर्देशों के बावजूद भी पक्षगण द्वारा लम्बे समय से बहस नहीं की जा रही है और निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि पक्षगण प्रगतपत्री में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए प्रगतपत्री पक्षगण की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। प्रगतपत्री में दिनांक 10.09.2020 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। प्रगतपत्री फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	